

न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/08/2024

रजू दिनांक: 01.04.2024

रजि० न० 2024/30

अपीलार्थी:-

बनाम

प्रत्यर्थी:-

श्री आस मोहम्मद पुत्र लीला खा, निवासी
रामगढ तह० रामगढ जिला अलवर
(राज०)

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड
अधिकारी रामगढ जिला अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005



दिनांक:- 25.04.2024

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन दिनांक 23.01.2024 के माध्यम से प्रत्यर्थी के कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के संबंध में सूचना चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा०पत्र दिनांक 18.03.2024 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर मय जवाब तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से दि० 18.04.2024 को प्रतिनिधि मय जवाब जरिये पत्रांक 333 दिनांक 16.04.2024 उपस्थित आया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा जवाब में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन में वांछित सूचना पत्रांक 332 दि० 16.04.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए मात्र न्यायालय हाजा को प्रतिलिपि पत्र पेश किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में कोई स्पष्ट जवाब न्यायालय को पेश नहीं किया गया है। साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित जवाब प्रथम अपील प्रस्तुत होने के पश्चात पेश किया गया है, जो काफी विलम्ब से और अधिनियमों के प्रावधानों के विपरित है। फिर भी नरमी का रुख अपनाते हुए प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रथम आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्यर्थी द्वारा पत्र दि० 16.04.2024 के माध्यम से वांछित सूचना के संबंध में किया गया विनिश्चय उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
7. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय-पक्ष को प्रेषित हो।
8. आज दिनांक 25.04.2024 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)